ालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/138/2023 तारीख रजू.........................

भोजराज बनाम रामसिंह वगैरा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2023	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकिल सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः उभयपक्षकारान को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3521, 3847, 3859, 3107, 3136, 3344, 3390, 3855, 3856, 2440, 3441, 3854, 3376, 3490, 3491, 3412, वाके ग्राम कानेटी तहसील कठूमर मे रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिऐ कहने पर बकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 30.6.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि० डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 30.06.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
20/6/23	मुताबिक आदेश P.O. बाहर ... पत्रावली दिनांक 30/10/23 को पेश हो।	
30/10/23	मुताबिक आदेश P.O. बाहर ... पत्रावली दिनांक 15/12/23 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/12/23	वकील प्रार्थी ... उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 15/6/23 की पालना में पत्रावली ... Ghanshyam Singh दिनांक 13/2/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
13/2/24	चुनाव पंजीकरण अधि०/P.O. बाबत अतिक्रमण में व्यस्त पत्रावली दिनांक 9/4/24 को पेश हो।
18/3/24 notpress प.ते.द.सि.हे.गे.की	पत्रावली आज मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA को चलाना नहीं चाहते हैं उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA को उठाते हुए NOT PRESS कर दिया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA वकील प्रार्थी के NOT PRESS के आधार पर खारिज किया जाता है पत्रावली कामल कुमार होकर नकल ... ही बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। हुक्म SDM 18/3/24 उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)